60

संख्या 1146/XII/2013/82(07)/2013

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पंचायतीराज अनुभाग: देहरादून दिनांक 10 अप्रैल, 2013

विषयः— वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध एवं अवचनबद्ध मदों में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 84/XXVII(1)/ 2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 के प्रस्तर—3 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 हेतु वचनबद्ध मदों में तथा प्रस्तर—4 के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में धनराशि बजट नियंत्रण अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति के क्रम में अनुदान संख्या—19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम—आयोजनेत्तर—800—अन्य व्यय—0806— समाज कल्याण (सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी) में संलग्न तालिका— 1 के अनुसार कुल रू0—61,60,000.00 (इकसठ हजार मात्र.) निम्न प्रतिबंधों एवं शर्तों के अनसुार आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1— उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नही किया जायेगा, तथा संबंधित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फॉट करके अपने स्तर से किया जायेगा।

2— उक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर ही किया जायेगा एवं इसे केवल चालू कार्यों के लिए ही व्यय किया जायेगा।

3— उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय—समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता संबंधी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।

4— उक्त धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

6— उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र बी0 एम0—13 पर पर प्रत्येक माह की 07वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

7— वचनबद्ध मदों की धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

8— अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी।

9— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
(कुणाल शर्मा)
सचिव।

RAJU NEW FILE 2010\DATE 03-01-2011 TIME 01:54 PM-2

संख्या 1146 (1)/XII/2013/82(07)/2013, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून
7. विभागीय पत्रावली/समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0एल0शर्मा)

अनु सचिव।

RAJU NEW FILE 2010 DATE 03-01-2011 TIME 01:54 PM-2

अनुदान संख्या–19, लेखा शीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर– 800–अन्य व्यय–0806– समाज कल्याण (सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी)

तालिका–1

(धनराशि रू0 हजार में)

कमांक	मानक मद का नाम	आय–व्ययक में प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1.	01–वेतन	3100	3100
3.	03–महंगाई भत्ता	2480	2480
4.	04–यात्रा भत्ता	30	30
6.	06–अन्य भत्ते	350	350
20.	27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	200	200
	योगः–	**6160**	**6160**

(इकसठ लाख साठ हजार मात्र)

(जे0एल0 शर्मा)
अनु सचिव,
पंचायतीराज विभाग
उत्तराखण्ड शासन